



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2627]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2019/श्रावण 17, 1941

No. 2627]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2019/SHRAVANA 17, 1941

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

का.आ. 2886(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ इक्यावनवां संशोधन नियम, 2019 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
 - भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-
 - प्रथम अनुसूची में, "49. नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)" शीर्षक के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"50. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय।";
 - द्वितीय अनुसूची में, "नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)" शीर्षक तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
1. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर प्रधान मंत्री के प्रधान सलाहकार हैं; और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता करना।"

राम नाथ कोविन्द
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/11/2018-मंत्रि.]

रचना शाह, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2019

S.O. 2886(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fifty First Amendment Rules, 2019.
(2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-
 - (a) in THE FIRST SCHEDULE, after the heading "49. NITI Aayog (National Institution for Transforming India)", the following heading shall be inserted, namely:-
"50. National Security Council Secretariat (Rashtriya Suraksha Parishad Sachivalaya).";
 - (b) in THE SECOND SCHEDULE, after the heading "NITI AAYOG (NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA)" and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely :-

"NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

(RASHTRIYA SURAKSHA PARISHAD SACHIVALAYA)

1. Secretariat of the National Security Council, chaired by the Prime Minister.
2. To assist the National Security Adviser, the Principal Adviser on National Security matters to the Prime Minister; and the National Security Council."

RAM NATH KOVIND
President

[F. No. 1/21/11/2018-Cab.]
RACHNA SHAH, Jt. Secy.